झारखण्ड सरकार

कार्यालय

उपायुक्त--सह--जिला दण्डाधिकारी,पाकुड़

(जिला पंचायत शाखा)

अल्पकालीन निविदा

त्रिस्तरीय पंचायत उप–चुनाव 2011 के लिए पाकुड़ जिला में 155 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य एवं 1 पंचायत समिति सदस्य के लिए उप–चुनाव प्रस्तावित है। प्रस्तावित उप–चुनाव के सम्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की लेखन सामाग्रियों/अन्य सामाग्रियों की आपूर्ति एवं उक्त अवसर पर प्रयुक्त होने वाले निम्न विभिन्न प्रपत्रों के मुद्रण की आवश्यकता के मद्देनजर निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्त्ते :–

1. दिनांक 17.11.11 को 1:00 बजे अपराह्न तक बन्द लिफाफे में निविदा कार्यालय अवधि में जिला पंचायत शाखा, पाकुड़ में उपायुक्त, पाकुड़ के पदनाम से दिया जा सकता है। निविदा उसी दिन दिनांक 17.11.11 को 03:00 बजे अपराह्न में उपायुक्त, पाकुड़ के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद निविदा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगा।

2. निविदा के साथ 10,000/–(दस हजार) रूपये का जमानत राशि उपायुक्त, पाकुड़ के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो पाकुड़ में भुगतेय होगी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

3. मुद्रण हेतु केवल उद्योग विभाग द्वारा निबंधित लघु ईकाईयों की निविदा स्वीकार्य होगी।

4. निविदा दाता अपनी निविदा में इकाई या प्रतिष्ठान का नाम, दूरभाष नं0/मो0 नं0 आदि के साथ सामाग्रियों की विवरणी का पूर्ण रूप से उल्लेख करेंगे।

5. निविदा में जे0एस0टी0/सी0एस0टी0 संख्या हो तो अंकित करना होगा।

6. निविदा के साथ कागज एवं कार्ड बोर्ड का नमूना संलग्न करना होगा।

7. निविदा में निर्धारित आकार में 60 जी0एस0एस0 कागज पर, कागज की कीमत सहित मुद्रण का दर अंकित करना होगा।

8. निविदा खोलने की तिथि को सेम्पल लाना होगा।

9. निविदा दाता अपनी निविदा में पंजीयन संख्या/विक्रीकर/आयकर/आयकर पंजीयन संख्या एवं आयकर बकाया/स्वच्छता प्रमाण–पत्र/भण्डार में उपलब्ध सामाग्रियों की सत्यापित सूची संलग्न करेंगे अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

10. पूर्व का कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र भी संलग्न करेंगे।

11. सामाग्रियों का दर निर्धारण गणवत्ता के आधार पर किया जायेगा एवं दर निर्धारण में जिला स्तर पर निर्धारित दर में से जो न्यूनतम होगा वही मान्य होगा। यह दर सभी कर सहित माना जाएगा।

12. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा कार्य हित में निर्धारित न्यूनतम दर पर आपूर्त्ति का आदेश एक से अधिक निविदादाताओं के बीच करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को रहेगा।

13. राज्य/प्रमण्डल स्तर से अगर उपरोक्त सामाग्रियों का कोई दर निर्धारित होता है और वह दर निविदा दाता द्वारा निर्धारित दर से कम होगा तो भुगतान उसी दर से किया जायेगा।

14. चुनाव में समय–सीमा की महत्ता होने के कारण आपूर्त्ति आदेश में दिये गये निर्धारित तिथि एवं समय पर सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार मुद्रण की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रपत्र आदि का मुद्रण कर उपलब्ध करा देना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर काली सूची में नाम दर्ज कर दिया जायेगा।

15. निविदा दाता सामग्री की आपूर्त्ति पाकुड़ समाहरणालय स्थित कार्यालय में करेंगे।

16. प्रपत्रों का नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में देखा जा सकता है।

17. मुद्रित किये जाने वाले कागज/रजिस्टर/कूपन/लिफाफा आदि की विवरणी एवं क्रय किये जाने वाले समाग्रियों की सूची **W.W.W.Pakur.nic.in** एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)
–सह–
उपायुक्त, पाकुड़।

राजेश कुमार यादव सामाजिक क्षा. कोषांग